



F- 07-08
F- 07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 229 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 229

विषय/ Sub: चीता हेलिकॉप्टर हेतु इंटरकॉम प्रणाली
Intercom System for Cheetah Helicopter

यह घोषित किया जाता है कि चीता हेलिकॉप्टर हेतु मेसर्स सर्दन इलेक्ट्रॉनिक्स (बेंगलूरु) प्राइवेट लिमिटेड, 16ए, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, फेस - 1, पीन्या, बेंगलूरु - 560 058, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "इंटरकॉम प्रणाली" जिसमें ए) जंक्शन बॉक्स पार्ट सं. सीएच-आईसी-2 बी) स्टेशन बॉक्स पार्ट सं. सीएच-आईसी-1 और सी) जैक बॉक्स पार्ट संख्याएं. सीएच-आईसी-3 और सीएच-आईसी-4 को संदर्भ सं.: एरो/आरडी-128-101/36, दिनांक 03 जनवरी 1978, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. : 229 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.:सेमिलैक/5070/टीए-229/3आर, दिनांक 19 फरवरी 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "Intercom System", for Cheeath Helicopter comprising of (a) Junction Box Part No. : CH - IC - 2, (b) Station Box Part No.: CH - IC - 1, and c) Jack Box Part Nos.: CH - IC - 3 and CH - IC - 4 designed, developed and manufactured by M/s Southern Electronics (Bangalore) Pvt. Ltd., 16 A, Peenya Industrial Area, Phase - 1, Peenya, Bengaluru - 560 058 was issued with Type Approval No.: 229 vide reference No.: AERO/RD -128 / 101 / 36, dated: 03rd January 1978. Subsequently it was renewed vide reference No.: CEMILAC/5070/TA - 229 - 3R, dated: 19th February 2013 with its validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 अप्रैल 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), डीआरडीओ,सेमिलैक, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु - 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st May 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th April 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), DRDO, CEMILAC, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Helicopter Division, Bengaluru - 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: एरो/आरडी-128/101/36, दिनांक 03 जनवरी 1978 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: AERO / RD-128 / 101 / 36, dated: 03rd January 1978 is **amended** as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूरु- 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency].”

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-229/4R

दिनांक /Date: 09 May 2018

फैक्स सं./Fax No: 080 - 2523 0856

HR
8/5/18

Phm

पी . जयपाल / P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)